भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-103
उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण

†103. श्री शफी परम्बिल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों की समुदाय-वार सूची क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर के निजी विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के दायरे का विस्तार करने की योजना बना रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): केंद्र सरकार द्वारा इन सीएचईआई में शिक्षकों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति में पदों के आरक्षण के लिए दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 12.7.2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय सीईआई (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार सीईआई की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

शिक्षा विषय को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। निजी विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित हैं और संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और वे अपने संबंधित राज्य अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****